न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या. : 81/2021
RCMS NO. : 2021/202

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. शिवलाल पुत्र कुनाराम
जाति– रेगर, निवासी– ग्राम
रूपनगर,पोस्ट रास, तहसील–
जैतारण, जिला पाली राज0

1. अर्जुनराम पुत्र कुनाराम के का.मु.
1.1 रूकमा पत्नी अर्जुनराम
1.2 पुखराज पुत्र अर्जुनराम
1.3 सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
1.4 चैनाराम पुत्र अर्जुनराम
1.5 कालुराम पुत्र अर्जुनराम
1.6 लीला देवी पुत्री अर्जुनराम
1.7 रेखा देवी पुत्री अर्जुनराम
2. मोहन पुत्र कुनाराम
3. नारायण पुत्र कुनाराम
4. भंवरूराम पुत्र कुनाराम
सभी जातियान रेगर,
निवासीगण– रूपनगर, पोस्ट
रास, तहसील– जैतारण, जिला–
पाली(राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 **तारीख रजू:.16/07/2021**

उपस्थित:– 1. श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री ओगड़ राम कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 20/07/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रूपनगर, पटवार हल्का रास–1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– रास, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान में बाके आराजी खसरा नम्बर 396 रकबा 05–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। जिसे इस बाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी बाद पत्र के साथ पेश है। जिसके बाद का एक भाग माना जावे। उक्त खसरान की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की पैतृक व पुश्तैनी भूमि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में शांति पूर्वक तरीके से बरोकटोक काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता [illegible] फौत हो जाने पर सम्वत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी में हल्का पट[illegible] पुत्र जगमाल का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया [illegible] पटवारी की [illegible] गलती के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में का[illegible] वल्दियत के रूप में वादी का नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि हल्का पटवारी को उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम का इन्द्राज करते हुए वल्दियत के रूप में कुना यानि की कुना पुत्र जगमाल फौत के स्थान पर अर्जुन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

मोहन, नारायण, शिवलाल, भंवरूराम पि0 कुना दर्ज करना चाहिये था। लेकिन हल्का पटवारी ने अर्जुन, मोहन, नारायण, भवरीया पि0 शिवलाल दर्ज कर दिया जो एक गलत एवं रo्न्ग एन्ट्री है। जो दुरूस्त किया जाने योग्य है। तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा बिना जांच पड़ताल किये वादी के पिता स्व. कुनाराम पुत्र जगमाल का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया गया उसमें प्रतिवादी संख्या एक से 4 के नाम का इन्द्राज करते हुए वल्दीयत के रूप में वादी का नाम दर्ज कर दिया इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन के समय से ही वादी के नाम का इन्द्राज खातेदार एवं उतराधिकारी के रूप में दर्ज नही होकर के प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की वल्दीयत के रूप में दर्ज हो गया जिससे उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज नही है तथा वादी अपने नाम का उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वल्दीयत के रूप में वादी अपने नाम को हटवाते हुए अपने पिता स्व. कुनाराम का नाम दर्ज करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता स्व. कुनाराम पुत्र जगमाल का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किये जाते समय लिपिकीय त्रुटि व भूल के कारण हल्का पटवारी ने वादी का नाम स्व. कुनाराम के उतराधिकारी व वारिस के रूप में दर्ज नही करके प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के वल्दीयत के रूप में दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त किया जाने योग्य है तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करवाने एवं अपने नाम की खातेदार काश्तकार के रूप में घोषणा करवाने का वादी विधिक रूप से अधिकारी है। वादी एक अनपढ़ व अशिक्षित ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसने कभी उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं की न ही वादी को पूर्व में कभी उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड बाबत् जानकारी करने की आवश्यकता हुई। इस कारण उक्त त्रुटि एवं गलत इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक चलता रहा है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 5 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80 (02) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वादकारण दिनांक 17/3/2021 को उत्पन्न हुआ जब वादी लौन लेने के उद्देश्य से अपनी खातेदारी भूमि की नकले लेने हेतु हल्का पटवारी के पास उपस्थित हुआ, तब हल्का पटवारी ने उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की जानकारी वादी को देते हुए कहा कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में आपका नाम आपके भाई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता के स्थान पर लिखा हुआ है। आपका नाम खातेदार के रूप में दर्ज नही है जो व उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करने का निवेदन हल्का पटवारी से किया तब हल्का पटवारी ने वादी से कहा कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड को न्यायालय के आदेश के बिना दुरुस्त नही किया जा सकता था ही आपका नाम प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की वल्दीयत से हटाकर खातेदार के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इस कारण वादी को उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से वकील ओगड़राम कुमावत ने वकालतनामा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

श किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 ने इकबालिया जबदावा पेश कर कथन किया कि वादी की इंस्तदुआ स्वीकार किए जाने योग्य है अतः से स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय स्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर नन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम रास-1 तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 05-05 बीघा किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में वादी ने निवेदन किया है कि उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी हैं तथा मौके पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता कुना पुत्र जगमाल के फौत होने के उपरांत फौतदेगी नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से वल्दीयत के रूप में वादी का नाम दर्ज कर दिया जो कि गलत है, अर्थात् कुना के स्थान पर अर्जुन, मोहन, नारायण, शिवलाल, भंवरूराम पिसरान कुना दर्ज करने के स्थान पर तत्कालीन पटवारी द्वारा अर्जुन, मोहन, नारायण, भंवरीया पि0 शिवलाल दर्ज कर दिया जो कि गलत एवं रोन्ग एन्ट्री है, जो दुरूस्त किया जाने योग्य है।

2. प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादपत्र में वर्णित समस्त कथनों का समर्थन किया है।

3. वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में स्वयं का शपथ पत्र पी डब्लु 1, रूकमा पत्नी अर्जुन का शपथ पत्र पी डब्लु 2, नारायण पुत्र कुनाराम का शपथ पत्र पी डब्लु 3, प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यो व कथनो का समर्थन किया। वादग्रस्त आराजी की प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खसरा संख्या 396 के अनुसार अर्जुन, मोहन, नारायण, भवरीया पि0 शिवलाल, प्रदर्श 2 खेवट खतौनी संवत 2028 से 2031 के अनुसार कुना पुत्र जगमाल हिस्सा 1/2 दर्ज है, प्रदर्श- 3 जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के अनुसार अर्जुन, मोहन, नारायण, भवरीया पि0 शिवलाल हिस्सा 1/2 दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में भी वादी का नाम वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर वल्दीयत दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम रास तहसील जैतारण की नामान्तरण पंजीका के नामान्तरण संख्या 1135 के अनुसार वादी के पिता कुना पुत्र जगमाल के फौत होने पर बतौर वारीसान अर्जुन, मोहन, नारायण, भवरीया, शिवला पिसरान कुना रेगर साकिन ढाणी रूपनगर दर्ज किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि परस्पर भाई है के पिता कुना पुत्र जगमाल की मृत्यु होने पर नामान्तरण संख्या 1135 द्वारा बतौर वारीसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज किया गया लेकिन उक्त नामान्तरण प्रविष्टि का जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय सहवन से वादी शिवलाल जो कि कुना का पुत्र है, को अपने भाई अर्जुनराम, मोहन, नारायण व भवरूराम के पिता के रूप में दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है जो वर्तमान भू अभिलेख में भी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ाकि स्वीकृत नामान्तरण के अनुरूप वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी में मृतक खातेदार ाराम के स्थान पर उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण क्रमशः शिवलाल, अर्जुनराम, हन, नारायण, भंवरूराम पिसरान कुनाराम जाति रेगर हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना हिए था तथा शेष 1/2 हिस्सा हरदेव वल्द बचना के वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिये ।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन एवं दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 396 जिसके भू अभिलेख में हरदेव पुत्र बचना स्सा 1/2 एवं कुना पुत्र जगमाल हिस्सा 1/2 का नाम बतौर खातेदार दर्ज था, के ातेदार कुना पुत्र जगमाल की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत रास द्वारा स्वीकृत फौतेदगी ामान्तरण 1135 के द्वारा मृतक खातेदार कुना के स्थान पर शिवलाल, अर्जुनराम, मोहन, ारायण, भंवरूराम पिसरान कुनाराम जाति रेगर हिस्सा 1/2 स्वीकृत किया गया लेकिन क्त नामान्तरण प्रविष्टि का जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय शिवलाल को शेष भाईयों का ता के रूप में दर्ज कर दिया गया, जिससे शिवलाल का नाम बतौर खातेदार विलोपित हो या तथा इससे अन्य भाईयों का हिस्सा भी त्रुटिपूर्ण हो गया जो वर्तमान में भी दर्ज है। तः ग्राम रूपनगर पटवार हल्का रास प्रथम के खसरा नम्बर 396 रकबा 0.8498 क्टेयर में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां क्रमशः अर्जुन पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, ारायण पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, मोहन पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, भंवरीया पुत्र ावलाल हिस्सा 1/8 को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर मृतक खातेदार कुना पुत्र गमाल हिस्सा 1/2 के वारिसान क्रमशः अर्जुन पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, ारायण पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, मोहन पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, ंवरीया पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, शिवलाल पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5 भी जातियान रेगर साकिन देह खातेदार दर्ज करते हुये शेष सहखातेदारान का शेष 1/2 हस्से में से अनुपातिक रूप से हिस्सा दर्ज करते हुये भू अभिलेख को शुद्ध किया जाना वं वाद वादी स्वीकार करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में से 1/5 स्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, ाजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रूपनगर, पटवार हल्का रास–1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– रास, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 396 रकबा 05–05 बीघा यानि 0.8498 हैक्टेयर के सहखातेदार कुना पुत्र [illegible] 1/2 की मृत्यु उपरांत नामान्तरण संख्या 1135 के जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] करते वक्त दर्ज एवं वर्तमान भू अभिलेख में बदस्तुर जारी मृतक खातेदार [illegible] के वारिसानों के नाम एवं हिस्से की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां क्रमशः ***अर्जुन पुत्र शिवलाल [illegible]सा 1/8, नारायण पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, मोहन पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, भंवरीया पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8*** को विलोपित करते हुये इनके स्थान पर मृतक खातेदार कुना पुत्र जगमाल हिस्सा 1/2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

रिसान क्रमशः ***अर्जुन पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, नारायण पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, मोहन पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, भंवरीया पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, शिवलाल पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5 सभी जातियान रेगर साकिन*** इ ***खातेदार*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से ा खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया ाता है कि शेष सहखातेदारान का शेष 1/2 हिस्से में से अनुपातिक रूप से हिस्सा दर्ज रते हुये भू अभिलेख को शुद्ध एवं अद्यतन करने कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा थक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, (जिला–पाली)

र्णय आज दिनॉक **27/07/2022** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

जलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

शिवलाल पुत्र कुनाराम
जाति– रेगर, निवासी– ग्राम
रूपनगर,पोस्ट रास, तहसील–
जैतारण, जिला पाली राज०

1. अर्जुनराम पुत्र कुनाराम के का.मु.
   1.1 रूकमा पत्नी अर्जुनराम
   1.2 पुखराज पुत्र अर्जुनराम
   1.3 सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
   1.4 चैनाराम पुत्र अर्जुनराम
   1.5 कालुराम पुत्र अर्जुनराम
   1.6 लीला देवी पुत्री अर्जुनराम
   1.7 रेखा देवी पुत्री अर्जुनराम
2. मोहन पुत्र कुनाराम
3. नारायण पुत्र कुनाराम
4. भंवरूराम पुत्र कुनाराम

सभी जातियान रेगर, निवासीगण–
रूपनगर, पोस्ट रास, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

मु0न0 :रा0वा0स0:– 81/2021

जस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती
न्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
धिनियम, 1955 एवं धारा 136
राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व ओगड़राम कुमावत, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रूपनगर, पटवार हल्का रास–1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– रास, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.8498 हैक्टेयर के सहखातेदार कुना पुत्र जगमाल हिस्सा 1/2 की मृत्यु उपरांत नामान्तरण संख्या 1135 के जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 में इन्द्राज करते वक्त दर्ज एवं वर्तमान भू अभिलेख में बदस्तुर जारी मृतक खातेदार कुना के वारिसानों के नाम एवं हिस्से की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां क्रमशः **अर्जुन पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, नारायण पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, मोहन पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8, भंवरीया पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/8** को विलोपित करते हुये इनके स्थान पर मृतक खातेदार कुना पुत्र जगमाल हिस्सा 1/2 के वारिसान क्रमशः **अर्जुन पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, नारायण पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, मोहन पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, भंवरीया पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5, शिवलाल पुत्र कुनाराम हिस्सा 1/2 का 1/5 सभी जातियान रेगर साकिन देह खातेदार** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि शेष सहखातेदारान का शेष 1/2 हिस्से में से अनुपातिक रूप से हिस्सा दर्ज करते हुये भू अभिलेख को शुद्ध एवं अद्यतन करने कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

र्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर ख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो। नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–..... र्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी क .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **27/07/2022** को जारी किया गया।

ाफिक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (जिला–पाली)

ुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
हनताना वकील		खर्चा गवाहान	
र्चा गवाहान	08-00	फीस कमीश्नर	
ीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मेजानः–	12-00	मिजानः–	—Nil—

टः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया , नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested